अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 452/2012

बैजनाथ मुखिया –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज (सुपौल) द्वारा पारित आदेश दिनांकः 15.09.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 36/12–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि हाल ग्राम–बेलागंज अंतर्गत हाल सर्वे खाता संख्याः 162, खेसरा संख्याः 419, रकवाः 34 डी० एवं हाल सर्वे खेसरा संख्याः 420, रकवाः 03 डी० भूमि कुल रकवाः 37 डी० (09 कट्ठा 19 धूर) भूमि को विवादित प्रश्नगत भूमि होना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उक्त खाता खेसरा की प्रश्नगत विवादी भूमि को अपीलार्थी के पिता– स्व० कुलकुल दास उर्फ कुलकुल मुखिया पिता–स्व० लाला मुखिया द्वारा ग्राम–बेलागंज के लखी चंद मुखिया पिता–स्व० रामेश्वर मुखिया से निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्याः–982/1962 के माध्यम से क्रय किया गया। अपीलार्थी के पिता द्वारा खरीदगी के उपरांत बिहार सरकार सिरिस्ता में अपने नाम से दाखिल खारिज कराया गया जिसका जमाबंदी संख्याः 890 अपीलार्थी के पिता के नाम से चल रही है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि कुलकुल मुखिया ने अपने जीवन काल में ही उनके सह ग्रामीण डोमी मुखिया पिता–नेवी मुखिया द्वारा कुलकुल मुखिया पिता–स्व० लाला मुखिया को जानकारी दिए बिना ही एक फर्जी वो जाली महिला जो अपने को कुलकुल मुखिया के जीवित रहते हुए ही उनकी विधवा होने का दावा करती हैं, उनसे साठ–गॉठ कर वो बैजनाथ मुखिया को कुलकुल मुखिया का एकमात्र पुत्र बताते हुए कुल रकवाः 02 बीघा 09 कट्ठा 13 धूर भूमि हेतु बिना निर्धारित जरसम्मन की अदायगी के अपने नाम से एक जाली केवाला दस्तावेज संख्याः 4592/1970 बनवा लिया गया। उक्त केवाला दस्तावेज में कुलकुल मुखिया की संपूर्ण संपत्ति हाल सर्वे के खाता संख्याः 28, हाल सर्वे खेसरा संख्याः 394, 395, 393, रिभिजनल सर्वे खेसरा संख्याः 1039, रकवाः 19 कट्ठा 13 धूर वो जमाबंदी संख्याः 21 वो हाल सर्वे खाता संख्याः 183/15, हाल सर्वे खेसरा संख्याः 386, रिभिजनल सर्वे खेसरा संख्याः 1007, 1008 के साथ हाल सर्वे खाता संख्याः 426, रिभिजनल सर्वे खेसरा संख्याः 979 कुल रकवाः 1 बीघा 1 कट्ठा का जमाबंदी संख्याः 49 बतलाया गया है साथ ही हाल सर्वे खाता संख्याः 162, हाल सर्वे खेसरा संख्याः 419, 420 रिभिजनल सर्वे खेसरा संख्याः

978 रकवाः 9 कट्ठा 19 धूर भूमि की जमाबंदी संख्या का उल्लेख दिनांकः 30.04.1970 को क्रियान्वित उक्त केवाला दस्तावेज में नहीं किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि केवाला में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी का उल्लेख किए बिना ही क्रियान्वित उक्त केवाला दस्तावेज संख्याः 4592 अभी भी बिहार सरकार सिरिस्ता में दर्ज है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि 30.04.1970 के बाद भी अपीलार्थी बैजनाथ मुखिया के सह ग्रामीण जालसाज डोमी मुखिया पिता– नेवी मुखिया द्वारा फिर महादेव मुखिया पिता–जगू मुखिया के नाम से हाल सर्वे खाता संख्याः 162, हाल सर्वे खेसरा संख्याः 419, रकवाः 04 कट्ठा की भूमि का अलग–अलग चौहद्दी बतालाते हुए अपीलार्थी बैजनाथ मुखिया की नैसर्गिक अभिवावक होने का दावा करने वाली एक फर्जी महिला जगतारणी देवी के द्वारा जाली बिक्री दस्तावेज संख्याः 4464, दिनांकः 01.06.1985 क्रियान्वित करवाया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उक्त के अलावा भी डोमी मुखिया द्वारा उक्त फर्जी वो जाली महिला मसो० जगतारणी देवी द्वारा कुलकुल दास के तथाकथित पुत्र बैजनाथ दास के साथ क्रियान्वित केवाला दस्तावेज संख्याः 4592, दिनांकः 30.04.1970 के आधार पर कुलकुल मुखिया के स्थान पर अपने नाम से दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, छतरपुर के समक्ष एक आवेदन भी दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि डोमी मुखिया पिता– स्व० नेवी मुखिया द्वारा समर्पित इस दाखिल खारिज आवेदन को दाखिल खारिज वाद संख्याः 957/12–13 आवंटित किया गया तथा मामले को हल्का कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक के पास उपरोक्त डोमी मुखिया के दखल प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु हस्तांतरित कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि हल्का कर्मचारी वो अचंल निरीक्षक द्वारा स्थलीय जॉच के उपरांत अंचल अधिकारी छतापुर को यह प्रतिवेदित किया गया कि अभी भी कुलकुल मुखिया पिता–स्व० लाला मुखिया के नाम से जमाबंदी कायम है। भूमि के क्रेता डोमी मुखिया का भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है बल्कि स्व० कुलकुल मुखिया का एकमात्र पुत्र होने के कारण अपीलार्थी बैजनाथ मुखिया का खाता संख्याः 128, खेसरा संख्याः 22 वो खाता संख्याः 162, खेसरा संख्याः 419 रकवाः 03 बीघा प्रश्नगत विवादी भूमि पर कृषियोग्य दखल है वो कथित जगतारणी देवी द्वारा क्रियान्वित उक्त निबंधित केवाला दस्तावेज संख्याः 4592/1970 अभी तक प्रभाव में नहीं आया है जबकि जगतारणी देवी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर अपना घर वो गॉव–बैलागंज को छोड़ दिया गया एवं बैजनाथ मुखिया को छोड़कर कुलकुल मुखिया की संपत्ति का अन्य कोई वैधिक उत्तराधिकारी नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि जगतारणी देवी द्वारा डोमी मुखिया के नाम से क्रियान्वित निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्या:4592 दिनांकः 30.04.70 वो रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 कुमिया देवी के स्व० पति–महादेव मुखिया के नाम से वर्षः 1985 में क्रियान्वित बिक्री दस्तावेज संख्याः 4464 स्वतः ही दोनों बिक्री दस्तावेजों के अवैधानिक वो जालसाजी को दर्शाता वो साबित करता है क्योंकि दोनों ही दस्तावेजों में बैजनाथ मुखिया को नाबालिक दिखाया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त किए बिना ही एकमात्र अवैधानिक वो जाल–फरेब जमाबंदी संख्याः 654 के आधार पर दखल का दावा किया जा रहा है जो कि विधि सम्मत ढंग से कायम नहीं हुआ क्योंकि जमाबंदी धारक स्व० लालजी दास के वास्तविक उत्तराधिकारी बैजनाथ मुखिया को बिना कोई सम्मन दिए ही जमाबंदी संख्याः 291 से जमाबंदी संख्याः 654 कायम किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि स्व० महादेव मुखिया की पत्नी रेस्पोण्डेन्ट संख्या:02 कुमिया देवी द्वारा वर्षः1985 के फर्जी केवाला दस्तावेज संख्याः 4454 दिनांकः 01.06.1985 वो जमाबंदी संख्याः 654 के आधार पर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के समक्ष यह दावा किया गया कि वे उक्त भूमि पर अपना मकान बनाकर दखलकार रहीं वो वर्षः 2008 की बाढ़ में उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया वो अपीलार्थी द्वारा उन्हें

अपने मकान के पुनर्निमाण वो मरम्मती करने से रोका जा रहा है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि पुराना खाता संख्याः162, खेसरा पुरानाः 419, रकवाः 4.80 जिसकी चौहद्दी उत्तर–निज, दक्षिण–सड़क, पूरब–कारी मुखिया, पश्चिम–लालजी अंतर्गत भूमि रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 के पति–महादेव मुखिया द्वारा क्रय किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या–2 के पति द्वारा उक्त भूमि दिनांकः 01.06.1985 को डोमी मुखिया से खरीदगी है वो डोमी मुखिया द्वारा अपनी भूमि के साथ ही अपने भतीजे बैजनाथ मुखिया की भूमि का भी बिक्री किया गया। उपरोक्त भूमि के खरीदगी के उपरांत रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 के पति द्वारा अंचल अधिकारी, छतापुर के समक्ष अपने नाम से दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया। तदोपरांत अंचल अधिकारी, छतरपुर द्वारा स्थलीय जॉच वो प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 के पति–महादेव मुखिया का दखल पाकर उक्त भूमि का जमाबंदी महादेव मुखिया के नाम से जमाबंदी संख्याः 654 के रूप में दर्ज हुआ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि पिछले 13 वर्षो से रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार चली आ रही हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उक्त भूमि के संबंध में ग्राम–जीबछपुर में सरपंच वो ग्राम पंचायत के मुखिया की उपस्थिति में एक पंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें पंचो द्वारा प्रश्नगत विवादी भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 का दखल–कब्जा घोषित किया गया। पंचो के निर्णय के बावजूद अपीलार्थी, रेस्पोण्डेन्ट संख्या–2 की प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के समक्ष वाद दायर किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वाद दायर करने के उपरांत अपीलार्थी को नोटिश निर्गत हुआ। तदोपरांत अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर जाल–फरेबी कागजात समर्पित किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह आगे यह भी कथन करते हैं कि विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 2 का दखल पाया गया तथा यह भी पाया गया कि रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 2 ही प्रश्नगत भूमि की वास्तविक मालिक हैं वो उनके पास भूमि संबंधी वैध कागजात हैं। उक्त प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 2 के नाम से कायम है वो इसे अपीलार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/11/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/11/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा